फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
धाईदेवी पत्नी प्रेमाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		जीतू पत्नी कलाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (229) मुकदमा नम्बर **392/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08..2025	प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता **नरेन्द्रसिंह सियाग** द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा **229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 22.08.2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
22.8.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज की [illegible] कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 4.9.25 को पेश हो।	
29/8/25	विप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जरिये वकील पत्रावली तलब कर सुनवाई [illegible] पत्र पेश कर निवेदन करने पर पत्रावली तलबी की जाकर [illegible] प्रतिवादी 5 स्वयं द्वारा उपस्थित होकर पत्रावली की व्यक्तिगत तामिली हेतु मौखिक रूप से निवेदन किया गया। अतः प्रतिवादी को पत्रावली की तामिली व्यक्तिगत रूप से करवाने बाबत आदेशित किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.9.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
03.09.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 04.09.25 को पेश हो।	
04.09.25	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पक्षकारान के सम्मिलात तामिलशुदा नोटिस प्राप्त। प्रार्थिनी के पति व विप्रार्थिनी संख्या 2 के पति द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 15.09.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	प्रेमाराम भूराराम
15.09.25	पत्रावली पेश। वकलान उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः स्थापित कर दर्ज किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई। अतः उपस्थित अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने पर पुनरावलोकन आवेदन अंतर्गत धारा 229 राज० काश्त० अधि० स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद संख्या 39/2022 उनवान धाईदेवी बनाम जीतु वगैरा पुनः इसी नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आवेदन फैसल शुमार होकर [illegible] के साथ हमफीता हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.01.01 16:36:18 IST
Reason: SelfAttested